न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 44 / 2017 / अपील / एल.आर.एक्ट / बारां
दायरा दिनांक: 3.5.2017
अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. परीक्षित पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी दीगोद पार तहसील किशनगंज जिला बांरा।
2. प्रकाश पुत्र रामगोपाल जाति जाट
3. गीताबाई बेवा जीवनलाल जाति जाट
4. रामसिंह पुत्र जीवनलाल जाति जाट
5. रामबाबू पुत्र जीवनलाल जाति जाट
6. हिम्मतसिंह पुत्र जीवनलाल जाति जाट
   निवासीगण दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बांरा–राज0।

... अपीलाट्स

बनाम

1. सुंदरलाल पुत्र भागीरथ जाति ब्राहमण निवासी दीगोदपार तहसील किशनगंज जिला बांरा।
2. मिथलेश कुमारी पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राहमण नि. नाखोदा तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बांरा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक अपीलांट्स
श्री सुनिल महिर्षी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1व 2

:::निर्णय:::

दिनांक 27.6.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 4 / 13 अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट बउनवान परिक्षित वगेरा बनाम सुन्दरलाल वगेरा में पारित निर्णय दिनांक 6.92016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि तहसीलदार किशनगंज द्वारा ग्राम दीगोदपार तहसील किशनगंज की आराजी कुल किता 19 रकबा 56 बीघा 14 बिस्वा का तस्दीक किया नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 28.2.1969 से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी अपीलांट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है मृतक मुसम्मात रामकन्या बेवा भागीरथ जाति ब्राहमण नि0 दीगोदपार ने तत्कालीन कर्मचारी व राजस्व अधिकारियो के मिलीभगत करके अवैधानिक रूप से काश्तकारी कानून के विपरीत स्वयं के पक्ष मे इन्तकाल सं0 53 दिनांक 28.2.1969 तस्दीक करवा लिया जबकि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार खातेदार सिकमी काश्तकार का वार्षिक रजिस्टर मे सं0 2012 से चले आ रहे इन्द्राजो के आधार पर ही प्रदान की जा सकती है। अपीलांटगणो के खातेदारी की उक्त आराजी के वार्षिक रजिस्टरो जमाबंदी या खसरा गिरदावरियों मे मुस0 रामकन्या के नाम का कभी कोई इन्द्राज नही रहा है ना ही

आराजी उसके कब्जे काश्त मे रही है। रेस्पो0 क्रम 1 व 2 मृतक रामकन्या के विधिक वारिस होने से उनको पक्षकार बनाया गया है। विवादित नामान्तरकरण अपीलांट को नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा नामा0 सं0 53 के विरूद्ध अपील 44 वर्ष बाद प्रस्तुत करने व देरी का समुचित कारण नही होने से विलम्ब अवधि क्षम्य योग्य नही होने से अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 6.9.2016 से खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय के साथ पेश की गई कि अपीलांट द्वारा इंतकाल की नकल मिलने पर ठोस प्रमाण के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र के साथ अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई थी। रेस्पो0 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का का कोई जवाब नही दिया गया ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई कर अपील का निर्णय मेरिट पर करना न्यायोचित था अतः जेरअपील निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। विवादित आराजी का नामा0 अपीलांट को नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक किये जाने से काश्तकारी कानून के विरूद्ध है। रामकन्या का देहान्त हो चुका है रेस्पो0 1 व 2 उसके वैधानिक वारिस होने से उनको पक्षकार बना कर अपील पेश की गई है। विवादित आराजी रामकन्या का कोई कब्जा काश्त नही था। धारा 19 आरटीए के तहसीलदार द्वारा रामकन्या को जो खातेदारी दी गई है वह गलत है क्योंकि धारा 19 के अन्तर्गत तहसीलदार को खातेदारी देने का अधिकार नही था अतः तहसीलदार द्वारा धारा 19 आरटीए के तहत की गई कार्यवाही त्रुटिपूर्ण व विदआउट ज्युरिडिक्शन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गोर नही किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट के अभिभाषक ने नही दी अभिभाषक से दिनांक दिनांक 31.1.2017 को मिलने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। इस कारण समय पर अपील पेश नही की जा सकी। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर शाहबाद का निर्णय 6.9.2016 तथा नामा0 सं0 53 दिनांक 28.2.69 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजि0 की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/समन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर रामकन्या का कब्जा नही है बल्कि विवादित आराजी पर अपीलांट्स का कब्जा है। मृतक मुसम्मात रामकन्या बेवा भागीरथ जाति ब्राहमण नि0 दीगोदपार ने तत्कालीन कर्मचारी व राजस्व अधिकारियो के मिलीभगत करके अवैधानिक रूप से काश्तकारी कानून के विपरीत स्वयं के पक्ष मे इन्तकाल सं0 53 दिनांक 28.2.1969 तस्दीक करवा लिया जबकि धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार खातेदार सिकमी काश्तकार का वार्षिक रजिस्टर मे सं0 2012 से चले आ रहे इन्द्राजो के आधार पर ही प्रदान की जा सकती है। अपीलांटगणो के खातेदारी की उक्त आराजी के वार्षिक रजिस्टरो जमाबंदी या खसरा गिरदावरियों मे मुस0 रामकन्या के नाम का कभी कोई इन्द्राज नही रहा है ना ही आराजी उसके कब्जे काश्त मे रही है। बहस मे आगे यह भी बताया कि विवादित नामान्तरकरण अपीलांट को नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त होने योग्य है। नामा0 की जानकारी होने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे इन्तकाल की नकल के साथ ठोस आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र के साथ अपील पेश की गई जिसका रेस्पो0 द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को अपील खारिज नही करना चाहिये था बल्कि सुनवाई की जाकर मेरिट पर निर्णित की जानी चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवेचित तथ्यो पर गोर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1972 पेज 324 तथा मियाद के संबध मे आरआरडी 1979 पेज 184 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व नामा0 सं0 53 निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1व 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि नामा0 सं0 53 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील 44 वर्षो के बाद पेश की गई जो मियाद बाहर थी तथा अवधि मध्य माने जाने का परिसीमा अधिनियम मे कोई ठोस कारण वर्णित नही है। पटवारी का शपथ पत्र पेश नही है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर होने से अपील खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। बहस मे बताया कि द्वितीय अपील मे मियाद के बिन्दू को ही देखा जाना है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.9.2016 के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत द्वितीय अपील भी मियाद बाहर है देरी का कोई सारयुक्त/युक्तियुक्त

तथा न्यायोचित कारण नही है ना ही कोई पत्रावली मे दस्तावेज उपलब्ध है। अतः द्वितीय अपील भी मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे आगे प्रकट किया कि नामा0 सं0 53 गिरदावरी के आधार पर खोला गया है। नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है जिससे किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त नही होते है अपीलांट के विवादित आराजी मे किसी प्रकार हित निहित है तो उनको घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अपने हक हकूको का निर्धारण करना चाहिये था। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 2011 पेज 228, आरआरडी 2009 पेज 465, आरआरडी 1993 पेज 431 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ स्वयं का शपथ पत्र बावत अपीलाधीन निर्णय की जानकारी 31.1.2017 को उसके अभिभाषक से मिलने पर होना वर्णित किया है। रेस्पो0 द्वारा यद्यपि बहस मे अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने का कथन किया गया किन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र के खण्डन मे रेस्पो0 द्वारा कोई प्रतिउत्तर/आधार अभिलेख प्रस्तुत नही है अतः शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधर अभिलेख पत्रावली मे उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपील का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6.9.2016 का अवलोकन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर पर गोर किया गया। अपीलांट्स द्वारा विवादित आराजी के नामान्तरकरण सं0 53 दिनांक 28.2.1969 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय मे दिनांक 18.4.2013 को लगभग 44 वर्ष बाद पेश की गई जो प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा नामा0 की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 1.3.2013 को प्राप्त होने पर जानकारी होना वर्णित करते हुये अपील पेश की गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने ठोस प्रमाण के अभाव मे अपील मियाद बाहर होने तथा विलम्ब अवधि क्षम्य का कोई ठोस कारण नही होने से जेरअपील निर्णय दिनांक 6.9.2016 से खारिज की है। अपीलाट्स द्वारा न्यायालय हाजा मे भी प्रश्नगत अपील प्रकरण मे भी ऐसे कोई आधार अभिलेख, दस्तावेज पेश नही किये है जो विलम्ब अवधि क्षम्य के समुचित आधार होना प्रकट करते हो ऐसी स्थिति मे समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे नामा0 सं0 53 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय मे दिनांक 18.4.2013 को लगभग 44 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील को अवधि मध्य माना जाना न्यायोचित प्रकट नही होता है। अतः प्रश्नगत अपील प्रकरण मे मियाद के संबध मे विद्वान अभिभाषक अपीलाट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे चस्पा नही होते है। प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 व 2 का यह तर्क विधिसम्मत है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिसक्ल प्रोसीडिंग है जिससे किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त नही होते है। अपीलांट के विवादित नामा0 सं0 53 से किसी प्रकार हक हकूक प्रभावित हुये है तो वह घोषणा का नियमित वाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है। अतः उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट्स सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 27.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा